R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड IV ◆ अंक 4
अक्तूबर 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

विदेशी मुद्रा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा नियमों को उदार बनाया

वर्तमान समष्टि आर्थिक स्थिति की समीक्षा करने के बाद तथा भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी मुद्रा बहिर्वाह के संबंध में संपूर्ण पूँजी खाता परिवर्तनीयता समिति (सीएफसीएसी) की अनुशंसाओं के तीसरे चरण के कार्यान्वयन को तेज किया जाए। तदनुसार, 26 सितंबर 2007 से निम्नलिखित उपाय कार्यान्वित किए गए हैं:

निवासियों के लिए विप्रेषण सीमा बढ़ाई गई

निवासियों के लिए विप्रेषण योजना को और उदार बनाने की दृष्टि से प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 100,000 अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 200,000 अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अब योजना के तहत किसी अनुमत चालू अथवा पूंजी खाता लेनदेन अथवा दोनों के संयुक्त रूप के लिए प्रति वित्तीय वर्ष 200,000 अमरीकी डॉलर तक के विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

बाह्य वाणिज्यिक उधार का समयपूर्व भुगतान

कंपनियों को अपनी चलनिधि और ब्याज लागत के सक्रिय रूप से संचालन को और अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर, बाह्य वाणिज्यिक उधार (इसीबी) का समयपूर्व भुगतान की 400 मिलियन अमरीकी डॉलर की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 500 मिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक ऋण पर यथालागू न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के अनुपालन की शर्त पर, 500 मिलियन अमरीकी डॉलर तक बाह्य वाणिज्यिक उधार के समयपूर्व भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।

समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश की सीमा बढ़ाई गई

किसी भारतीय पार्टी की समुद्रपारीय अपने सभी संयुक्त उद्यमों (जेवी) और/अथवा विदेश में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) में कुल समुद्रपारीय निवेश की सीमा को उसकी निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। पूर्व में, यह सीमा भारत में निगमित कंपनियों अथवा संसद अधिनियम द्वारा सृजित निकायों के लिए इसकी निवल संपत्ति के 300 प्रतिशत तक और पंजीकृत साझेदारी फर्मों के मामले में निवल संपत्ति के 200 प्रतिशत तक थी।

तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत भारतीय पार्टी के अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति में उसकी निवल संपत्ति के 400 प्रतिशत तक के समुद्रपारीय निवेश की अनुमति दे सकते हैं।

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों द्वारा संविभाग निवेश

सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को अब सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की ईक्विटी में, जो मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं संविभाग निवेश योजना के तहत समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा जारी दर वालो बांडों/ नियत आय प्रतिभूतियों में उनके अंतिम लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख को उनकी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। पहले सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को ऐसे संविभाग निवेशों में अपनी निवल संपत्ति के 35 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति थी।

इसके अलावा, भारतीय कंपनियों द्वारा भारत से बाहर संविभाग निवेश के प्रयोजन हेतु समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में पारस्परिक 10 प्रतिशत की शेयर धारिता की अपेक्षा को हटा दिया गया है।

तदनुसार, कोई सूचीबद्ध भारतीय कंपनी अब (i) शेयरों और (ii) सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों द्वारा जारी प्रामाणिक/ पंजीकृत साख निर्धारित एजेंसियों द्वारा निवेश ग्रेड से नीचे न निर्धारित किए गए दर वाले बांडों/ नियत आय प्रतिभूतियों में अपने अंतिम लेखा परीक्षित तुलनपत्र की तारीख को अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक निवेश कर सकती है।

विषय सूची

	पृष्ठ
विदेशी मुद्रा	
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा नियमों को उदार बनाया	1
नीति	
अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री से संबंधित दिशानिर्देश	2
रुपया निर्यात ऋण - ब्याज अनुदान की अवधि बढ़ाना	2
अनचाहे वाणिज्यिक संवाद	3
धन शोधन निवारण मार्गदर्शी सिद्धांत	3
आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
मुद्रा तिजोरियां खोलना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4
ग्राहक सेवा	
चेक संग्रह नीति	4
8% बचत (करयोग्य) बाण्ड 2003-आयकर अधिनियम 1961-स्रोत पर कर की कटौती	4

म्यूचुअल फंड्रों द्वारा समुद्रपारीय निवेश

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंड्रों (एमएफ) द्वारा समुद्रपारीय निवेशों के प्रावधानों को निम्नानुसार और उदार बनाया गया है :

सकल सीमा को बढ़ाना

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत म्यूचुअल फण्ड्रों द्वारा समुद्रपारीय निवेशों की सकल सीमा को 26 सितंबर 2007 से 4 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 5 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया गया है। तथापि, समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फण्डों में योग्य भारतीय म्यूचुअल फंडों की एक सीमित संख्या को संचयी रूप से एक बिलियन अमरीकी डॉलर तक के निवेश की वर्तमान सुविधा, सेबी द्वारा अनुमति के अनुसार, जारी रहेगी।

समुद्रपारीय निवेशों के लिए और अधिक अवसर

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को वर्तमान में भारतीय और विदेशी कंपनियों के अमरीकी निक्षेपागार रसीद(एडीआर)/ वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर), प्रामाणिक/पंजीकृत साख निर्धारक एजेंसियों द्वारा निवेश श्रेणी से कम न आंके गए श्रेणीकृत ऋण लिखतों, विदेशों में मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध समुद्रपारीय कंपनियों की ईक्विटी में, समुद्रपारीय म्यूचुअल फंडों में, जो नाममात्र का निवेश (लगभग निवल परिसंपत्ति मूल्य के 10 प्रतिशत तक) करते हैं और समुद्रपारीय एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों, जो प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, में निवेश करने की अनुमति है। म्यूचुअल फंडों द्वारा विदेश में भारी मात्रा में निवेश योग्य स्टॉक का दोहन कराने के लिए अब म्यूचुअल फंडों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अतिरिक्त लिखतों में निवेश की अनुमति दी गई है। तदनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास पंजीकृत म्यूचुअल फंडों को निम्नलिखित में निवेश की अनुमति दी गई है:

- भारतीय अथवा विदेशी कंपनियों द्वारा जारी अमरीकी निक्षेपागार रसीद (एडीआर)/ वैश्विक निक्षेपागार रसीद (जीडीआर)।
- विदेशों में मान्यता प्राप्त शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध विदेशी कंपनियों की ईक्विटी।
- विदेशों में मान्यता प्राप्त शेयर बज़ारों में सूचीबद्ध होने के लिए सार्वजनिक प्रस्तावों को शुरू करना और जारी रखना।
- पूर्ण परिवर्तनीय मुद्रावाले देशों में विदेशी ऋण प्रतिभूतियां, अल्पावधि और दीर्घावधि ऋण लिखतें जिनकी रेटिंग प्रामाणिक/ पंजीकृत साख निर्धारण एजेंसियों द्वारा निवेश श्रेणी में कम नहीं आंकी गई है।
- निवेश ग्रेड से कम न आंकी गई मुद्रा बाज़ार लिखतें।
- निवेश के रूप में रिपो, जहां प्रतिपक्षी को निवेश ग्रेड से कम नहीं आंका जाता है। फिर भी, रिपो को म्यूचुअल फंडों द्वारा फंडों के किसी उधार को शामिल नहीं करना चाहिए।
- सरकारी प्रतिभूतियां, जहां देशों को निवेश श्रेणी से कम नहीं आंका जाता है।
- केवल हेजिंग और संविभाग के लिए विदेशों में मान्यताप्राप्त शेयर बाज़ारों में व्यापारित डेरिवेटिव्स का, आधार आस्तियों की प्रतिभूति के साथ संतुलन होना चाहिए।
- विदेशों में बैंकों के पास अल्पावधि जमा राशि जहां जारीकर्ता को निवेश श्रेणी से कम नहीं आंका जाता है।
- विदेशी म्यूचुअल फंड अथवा समुद्रपारीय विनियामकों के पास पंजीकृत यूनिट ट्रस्ट द्वारा जारी यूनिट्स/ प्रतिभूतियां और (क) उपर्युक्त प्रतिभूतियों, (ख) विदेश में मान्यताप्राप्त शेयर बाज़रों में सूचीबद्ध भू-संपदा निवेश ट्रस्ट, अथवा (ग) असूचीबद्ध विदेशी प्रतिभूतियों (उनके निवल परिसंपत्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) में निवेश।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता

वैश्विक बाज़ारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों को अवसर प्रदान करने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्यातकों को उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में प्रति निर्यातक 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति दी जाए। यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है जो 31 अक्तूबर 2008 तक वैध है और आगे के लिए समीक्षाधिन होगी।

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाताधारक अब 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि एक वर्ष के लिए 31 अक्तूबर 2008 को या उससे पहले परिपक्व होनेवाले मीयादी जमा के रूप में रख सकते हैं। ब्याज दर बैंकों द्वारा स्वयं तय किए जाएंगे।

पूर्व में, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों को गैर-ब्याज अर्जक चालू खाते के रूप में रखे जाने की अनुमति दी गई थी।

नीति

अनर्जक आस्तियों की खरीद/बिक्री से संबंधित दिशानिर्देश

रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर), अखिल भारतीय सावधि उधार और पुर्नवित्त संस्थानों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर-बैंकिंग कंपनियों को छोड़कर) को सूचित किया है कि अनर्जक आस्तियों की बिक्री करते समय उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य में वसूली की लागत को घटाकर प्राप्त राशि के आधार पर अनुमानित नकद प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य की गणना करनी चाहिए। आम तौर पर बिक्री मूल्य प्राप्त निवल वर्तमान मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक ने आगे यह सूचित किया है कि समझौता निपटानों में भी इन्ही सिद्धांतों को लागू करना चाहिए। चूंकि समझौता राशि का भुगतान किस्तों में हो सकता है, अत: समझौता राशि के निवल वर्तमान मूल्य की गणना की जानी चाहिए तथा यह राशि आम तौर पर प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के निवल वर्तमान मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए।

बैंकों के बोर्डों से अपेक्षा है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ चुकौती और वसूली की संभावनाओं से उत्पन्न होनेवाले नकदी प्रवाह के मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय आस्तियों के आर्थिक मूल्य का तर्कसंगत आकलन सुनिश्चित करने के लिए अपनायी जानेवाली मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में नीति और दिशानिर्देश निर्धारित करें। तथापि, यह बात रिज़र्व बैंक के ध्यान में लायी गयी है कि कुछ मामलों में उपलब्ध प्रतिभूतियों के मूल्य की तुलना में काफी कम मूल्य पर अनर्जक आस्तियों को बेचा गया है और इसके लिए कोई औचित्य नहीं दिया गया है।

रुपया निर्यात ऋण - ब्याज अनुदान की अवधि बढ़ाना

विनिर्दिष्ट श्रेणी के निर्यातकों को रुपया निर्यात ऋण के संबंध में सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 2 प्रतिशत अंक वार्षिक ब्याज अनुदान के प्रावधान की योजना को 31 मार्च 2008 तक 3 महीने से बढ़ायी गयी है। पहले यह योजना 1 अप्रैल 2007 से 31 दिसंबर 2007 तक के लिए प्रभावी थी।

ब्याज अनुदान योजना की व्याप्ति को भी नई मदें शामिल करने के लिए बढ़ाया गया है:

(क) जूट तथा कार्पेट

(ख) प्रसंस्कृत काजू, कॉफी तथा चाय

(ग) सत्व रहित तेल रहित खली

(घ) प्लास्टिक और लिनोलियम

उक्त मदें 13 जुलाई 2007 के रिज़र्व बैंक के परिपत्र में निर्दिष्ट ब्याज अनुदान के लिए पात्र श्रेणियों के अलावा है।

अनचाहे वाणिज्यिक संवाद

इस मामले पर पुनर्विचार करने पर तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी *टेलीमार्केटर्स* संबंधी दिशानिर्देशों में *टेलीमार्केटर* की परिभाषा ऐसे व्यक्ति/विधिक व्यक्तित्व के रूप में की गयी है जो टेलीमार्केटिंग (सामान, निवेश अथवा सेवा के संदर्भ में किसी व्यावसायिक संव्यवहार के विषय में आग्रह करने अथवा संवर्धन करने के प्रयोजन के लिए दूरसंचार सेवा के माध्यम से किसी संदेश का प्रेषण) का कार्य करता हो, ट्राई के साथ विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि डीएसए/डीएमए (प्रत्यक्ष बिक्री एजंट/प्रत्यक्ष बाज़ार एजंट) के अलावा, बैंक /उनके कॉल सेंटर, जो आग्रह कॉल करते हैं, को भी दूरसंचार विभाग के साथ टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने आपको रजिस्टर कराना चाहिए। ट्राई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों/उनके कॉल सेंटरों को टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने आपको रजिस्टर कराते समय टेलीमार्केटिंग में प्रयुक्त टेलीफोन नंबरों के ब्यौरे देने होंगे।

ट्राई ने हमें सूचित किया है कि बैंक जिन डीएसए/डीएमए की सेवा ले रहे हैं दूरसंचार विभाग के साथ उनके पंजीकरण की प्रगति अत्यंत धीमी है। अतः बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे सुनिश्चित करें कि वे जिन डीएसए/डीएमए की सेवा ले रहे हैं उनका दूरसंचार विभाग के साथ तत्काल पंजीकरण किया जाता है।

अनचाहे वाणिज्यिक संवादों के बारे में बैंकों को जुलाई 2007 में सूचित किया गया था कि (i) ऐसे टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा न लें जिन्होंने भारत सरकार के दूर संचार विभाग से वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नहीं लिया है, (ii) बैंक द्वारा जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है उनकी सूची तथा उनके द्वारा टेलीमार्केटिंग के लिए प्रयोग में किए जा रहे पंजीकृत टेलीफोन नंबरों की सूची भारतीय बैंक संघ को प्रस्तुत की जाए ताकि भारतीय बैंक संघ उक्त सूची को ट्राई को भेज सके तथा (iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके द्वारा वर्तमान में जिन टेलीमार्केटर्स (डीएसए/डीएमए) की सेवा ली जा रही है वे दूर संचार विभाग में टेलीमार्केटर्स के रूप में अपने को रजिस्टर करते हैं।

धन शोधन निवारण मार्गदर्शी सिद्धांत

धन शोधन निवारण के कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों के क्रियान्वयन में मुद्रा परिवर्तक संघ द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में कार्य करने वाले सभी प्राधिकृत व्यक्तियों को सूचित किया है कि -

★ विदेशी पर्यटकों/अनिवासी भारतीयों द्वारा नकद भुगतान के अनुरोध को 3000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि की सीमा (पहले यह सीमा 2000 अमरीकी डॉलर थी) तक स्वीकार किया जाए।

★ किसी कंपनी/फर्म जैसी व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कंपनी/फर्मों के नाम, पते और व्यावसायिक कार्यकलाप के समर्थन में दस्तावेज़ प्राप्त करने और सत्यापित करने के अलावा पैन कार्ड को भी एक उपयुक्त दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाए।

आवास ऋण - दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश

माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली की निगरानी समिति ने कल्याण संस्था वेलफेयर ऑर्गेनाइज़ेशन बनाम भारत सरकार और अन्य के मामले में 12 अक्तूबर 2006 का निम्नलिखित आदेश पुनः जारी किया:

'हम एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि आगे से बैंक यह जांच करेंगे कि क्या मांगा गया ऋण प्राधिकृत निर्माण के लिए है या अप्राधिकृत निर्माण के लिए है - बैंक ऐसे ऋण चाहने वाले पक्षों से शपथपत्र पर वचन लेंगे कि स्वीकृत भवन योजना के अनुसार भवन का निर्माण किया जाएगा। बैंक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत भवन योजना वचनपत्र के साथ संलग्न हो इस संबंध में संबंधित बैंकिंग मंत्रालय अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आवश्यक निदेश जारी किए जायें'।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे उपर्युक्त विषय पर 17 नवंबर 2006 के परिपत्र में निहित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्राहक सेवा पर समिति का गठन किया

रिज़र्व बैंक ने आम जनता की संतुष्टि को बढ़ाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध करायी गई ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए ग्राहक सेवा पर एक समिति का गठन किया है। 24 सितंबर 2007 को गठित इस समिति के अध्यक्ष श्री एम.प्रभाकर राव, पूर्व महालेखा नियंत्रक, भारत सरकार हैं और इसमें सदस्य के रूप में श्रीमती वाणी जे.शर्मा, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्री के. गिरीश पै, सनदी लेखाकार शामिल हैं।

इस समिति के विचारार्थ विषय हैं -

(क) सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति अनुशंसा के अंगीकरण के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष अथवा बैंकों/संस्थाओं के माध्यम से व्यक्तियों के प्रति शुरू की गई सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के प्रयास का मूल्यांकन करना और ऐसी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर बैंक को सलाह देना।

(ख) सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा समिति अनुशंसा के बाद से प्रौद्योगिकीय और अन्य गतिविधियों पर विचार करते हुए वर्तमान नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाने की दृष्टि से समीक्षा करना।

(ग) रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर अतिक्रमण की सीमा तक ग्राहकों के हित से संबंधित विभिन्न मंचों/संगठनों के साथ विचार-विमर्श करना।

(घ) समिति के कार्य के प्रति संगत अन्य किसी मुद्दे पर सलाह देना तथा रिज़र्व बैंक द्वारा इसे भेजे गए किसी विशिष्ट मुद्दे पर भी सलाह देना।

यह समिति रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलूर में कार्यरत है। समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं में से देखे जाने वाले विषय निम्न प्रकार हैं -

- रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और बैंक शाखाओं पर सिक्कों और नोटों की उपलब्धता तथा गंदे/कटे-फटे नोटों के विनिमय से संबंधित लोगों के समक्ष आ रही समस्याएं।
- मुद्रा/यात्रा चेकों के नकदीकरण, विभिन्न अनुमत प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, अनिवासी खातों तथा निवासियों के विदेशी मुद्रा खाते आदि के परिचालन सहित लोगों के विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित बैंकिंग सेवाएं।
- बैंकों के माध्यम से पेंशन भुगतान, रिज़र्व बैंक/बैंक शाखाओं में व्यक्तियों द्वारा करों के भुगतान तथा अन्य कोई संबंधित प्राप्ति/भुगतान मामले सहित सरकारी लेनदेन से संबंधित मामले।
- रिज़र्व बैंक और बैंकों के माध्यम से भारत सरकार बाण्डों (राहत बाण्ड, बचत बाण्ड) के सेवा-कार्य और प्रतिदान से संबंधित मामले।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

मुद्रा तिजोरियां खोलना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

मुद्रा तिजोरी सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करना होगा। तथापि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास निम्नलिखित का होना आवश्यक है :

i) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक (नाबार्ड) की आखिरी निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम निवल संपत्ति 50 करोड़ रुपए हो;

ii) पिछले तीन वर्षों में निवल लाभ कमाया हो तथा उसकी संचित हानियाँ न हों;

iii) सकल अनर्जक आस्तियां 10 प्रतिशत से अधिक न हो;

iv) आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख तक पिछले और वर्तमान वर्ष में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)/सांविधि चलनिधि अनुपात (एसएलआर) संबंधी मानदंडों का कोई उल्लंघन न हुआ हो;

v) रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा निर्धारित पृथक और सामूहिक निवेश संबंधी मानदंडों सहित विवेकपूर्ण मानदंडों का कोई उल्लंघन न किया हो; और

vi) निदेशकों, उनके रिश्तेदारों/उनकी संस्थाओं आदि को ऋण और अग्रिम दिए जाने के संबंध में रिज़र्व बैंक/नाबार्ड द्वारा जारी अनुदेशों का पालन किया हो।

नियंत्रक कार्यालय खोजना

रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि अधिकार प्राप्त समिति, स्थानीय परिस्थितियों और बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिसकी भले ही 75 शाखाएं न हों, नियंत्रक कार्यालय खोलने की अनुमति दे सकती है।

ग्राहक सेवा

चेक संग्रह नीति

बैंकों को भारतीय बैंक संघ के 6 मई 2005 के परिपत्र के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे कि वे अपने द्वारा तैयार की गई चेक संग्रह नीति में निम्नलिखित को शामिल करे :

i) चेकों के अंतरण अथवा समाशोधन प्रक्रिया अथवा अदाकर्ता बैंक शाखा में खो जाने के मामले में बैंक को तुरंत खाताधारी को सूचित करना चाहिए ताकि खाताधारी आहरणकर्ता को यह सूचित कर सके कि भुगतान बंद करना दर्ज किया जाए और यह भी सावधानी बरत सके कि उसके द्वारा जारी किए गए अन्य चेक खोए हुए चेक/लिखत की राशि जमा नहीं होने के कारण बिना भुगतान के वापस नहीं लौटें।

ii) ऐसी क्षति का दायित्व, संग्रहकर्ता बैंकर पर है और खाताधारी पर नहीं।

iii) बैंक, चेकों की दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति खाताधारी को करें तथा चेकों की दूसरी प्रति प्राप्त करने में हुई उचित देरी के लिए ब्याज का भुगतान भी करें।

iv) यदि चेक/लिखत अदाकर्ता बैंक शाखा में खो गए हैं, संग्रहकर्ता बैंकर को यह अधिकार होगा कि वह ग्राहक को प्रतिपूर्ति की गई राशि की वसूली अदाकर्ता बैंकर से चेक की क्षति के लिए करे।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया कि वे अदाता खाता चेकों का नकद भुगतान नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे रेखांकित चेक हैं। बैंकिंग प्रथा के अनुसार, किसी अदाता खाता चेक का नकद भुगतान तभी किया जा सकता है यदि रेखांकन चेक के आहरणकर्ता द्वारा खोला गया है।

स्रोत : संसद में प्रश्न

8% बचत (करयोग्य) बाण्ड 2003 - आयकर अधिनियम 1961 - स्रोत पर कर की कटौती

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 मई 2007 के परिपत्र के क्रम में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत बाण्डों पर देय ब्याज के स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में कतिपय मामलों पर भारत सरकार द्वारा दिए गए स्पष्टिकरणों को जारी किया है।

	मामले	टिप्पणियाँ
(i)	क्या वर्तमान बाण्डधारकों पर कर की कटौती की जाएगी अथवा क्या केवल उन पर जो 1.4.2007 के बाद निवेश करेंगे?	8% बचत (करयोग्य) बाण्ड 2003 पर स्रोत पर कर की कटौती 1.6.2007 से प्रभावी है। 1-6-2007 को या उसके बाद 8% बचत (करयोग्य) बाण्ड 2003 पर जमा किए गए अथवा देय कोई ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि ब्याज की राशि वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपए से अधिक होती है। अत: निवेश की तारीख प्रासंगिक नहीं है। इसलिए स्रोत पर कर की कटौती वर्तमान बाण्डधारकों पर भी लागू होगी।
(ii)	यदि कर की कटौती 1.7.2007 (1.1.2007 से 30.6.2007 की अवधि से संबंधित) से देय ब्याज पर की जानी है तो क्या जमाकर्ता जिसने संचयी ब्याज का विकल्प दिया है, को 1.1.2007 से 30.6.2007 की अवधि के लिए उपचित ब्याज और उस पर कर की कटौती के ब्योरे के साथ फॉर्म 16ए जारी किया जाएगा?	हाँ, जहाँ कहीं ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती की गई है,जमाकर्ता को फॉर्म 16ए जारी किया जाएगा। कर की कटौती 1.6.2007 से देय ब्याज पर की जाए, 1.7.2007 से नहीं जैसाकि प्रश्न में पूछा गया है।
(iii)	यदि कर की कटौती परिपक्वता पर केवल उनके लिए की जानी है जिन्होंने संचयी योजना का विकल्प दिया है तो उनकी क्या स्थिति है जिन्होंने लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली अंगीकार की है और विगत वर्षों में उपचित आधार पर ब्याज का विकल्प दिया है?	कर की कटौती के लिए परिपक्वता तक प्रतीक्षा नहीं करनी है बल्कि जहाँ कहीं ब्याज जमा या भुगतान किया जाता है,जो भी इनमें पहले हो, कर की कटौती की जाए बशर्ते वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या भुगतान की गई ब्याज की राशि 10,000/-रु. की प्रारंभिक सीमा से अधिक हो जाए।

बैंकों को योजना को परिचालित कर रही पदनामित शाखाओं को उपयुक्त अनुदेश जारी करने चाहिए।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**